भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 191

सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

छत्तीसगढ़ में नए पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु प्रस्ताव

191. श्री सुनील कुमार सोनी:
श्री विजय बघेल:
श्री अरुण साव:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोविड-19 अवधि के दौरान पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से पर्यटन सर्किट के अन्तर्गत नए पर्यटन स्थलों को जोड़ने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्राप्त हुए प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने-अपने राज्यों में नए पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को धन आवंटित किया है और यदि हाँ, तो छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हां। कोविड-19 महामारी से पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी, 2021 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) को 'भारत और कोरोना वायरस महामारी: पर्यटन में लगे परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान और पुनर्वास हेतु नीतियां' पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था। अध्ययन के परिणामों के अनुसार:

- 2020-21 के दौरान समग्र आर्थिक मंदी के कारण, पर्यटन अर्थव्यवस्था या पर्यटन प्रत्यक्ष सकल मूल्य वर्धित (टीडीजीवीए) में पहली तिमाही में 42.8 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 15.5 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 1.1 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
- पर्यटकों के आगमन में महत्वपूर्ण गिरावट और इसलिए पर्यटन व्यय में कमी के कारण, महामारी के दौरान, यह अनुमान लगाया गया है कि टीडीजीवीए 2020-21 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में अपने स्तर से 93.3

प्रतिशत तक गिर गया। यह दूसरी तिमाही में 79.5 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 64.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करने के बाद थोड़ा ऊपर उठा है।

- लॉकडाउन लागू होने के बाद पर्यटन क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां चली गईं। पहली तिमाही के दौरान 14.5 मिलियन नौकरियां, दूसरी तिमाही के दौरान 5.2 मिलियन और तीसरी तिमाही के दौरान 1.8 मिलियन लोगों के रोजगार छूट जाने का अनुमान है,जबकि 2019-20 की पूर्व-महामारी अवधि में अनुमानित 34.8 मिलियन नौकरियां (प्रत्यक्ष नौकरियां) थीं।

वित्तीय राहत के लिए उद्योग हितधारकों और राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय के विचारार्थ उनके समक्ष रखा गया है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई पहल और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित राहत उपाय **अनुबंध-1** में दिए गए हैं।

(ग) से (ड.): पर्यटन का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) पर राष्ट्रीय मिशन' की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करना और इसकी स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है। परियोजनाओं को निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने, योजना दिशानिर्देशों का पालन करने और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग के अधीन स्वीकृत किया जाता है। छत्तीसगढ़ सहित स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध ।

छत्तीसगढ़ में नए पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक 19.07.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 191 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में **विवरण**

i. सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय और राहत उपाय निम्नलिखित हैं, जिनसे पर्यटन उद्योग को लाभ होने की आशा की जाती है:

ii. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण में 4 साल का कार्यकाल और 12 महीने की ऋण-स्थगन की मोहलत होगी।

iii. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम, संगठनों के लिए भविष्यनिधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।

iv. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

v. स्रोत पर कर एकत्रण (टीसीएस) को अक्टूबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया है।

vi. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगित, बाकी पर 9% की दर से दंडात्मक ब्याज।

vii. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड -19 महामारी के संकट के मद्देनजर अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत दी।

viii. भारतीय रिजर्व बैंक ने आवधिक ऋण पर स्थगन 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया।

ix. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड -19 महामारी के संकट के मद्देनजर अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत दी।

x. वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) को लागू करने के लिए धन का उपयुक्त प्रावधान अब वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है।

xi. भारत सरकार ने पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की है।

xii. ईसीएलजीएस 3.0 की शुरूआत के साथ आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। यह योजना 31.03.2021 तक वैध है।

xiii. ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 30.06.2021 तक या तीन लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी किए जाने तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि 30.09.2021 तक बढ़ा दी गई है।

xiv. 16.06.2021 को, माननीय वित्त मंत्री ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप जारी करने की घोषणा की है।

xv. 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइड/ यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए नई ऋण गारंटी योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र के लोगों को कोविड-19 के कारण प्रभावित होने के बाद देनदारियों के निर्वहन और फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी/ व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 10,700 क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारक (टीटीएस) शामिल होंगे। प्रत्येक टीटीएस 10 लाख रुपये तक का ऋण पाने के लिए पात्र होंगे। जबकि प्रत्येक पर्यटक गाइड को एक लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं होगा, फोरक्लोज़र/पूर्व भुगतान शुल्क में छूट और अतिरिक्त संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। योजना, पर्यटन मंत्रालय द्वारा एनसीजीटीसी के माध्यम से संचालित की जाने वाली है।

xvi. 5 लाख तक मुफ्त पर्यटक वीजा: घोषणा के अनुसार, वीजा जारी होने के बाद, पहले पांच लाख पर्यटक वीजा मुफ्त में जारी किए जाएंगे। पहले पांच लाख पर्यटक वीजा (नि:शुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 मार्च 2022 तक या 5,00,000 वीजा जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगा।

xvii. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को एसईआईएस स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है। इससे पहले, कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 2019-20 के लिए एसईआईएस जारी रखने के वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दी है कि राशि होगी एक नया लघु शीर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यय बजट के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

xviii. इन उपरोक्त कदमों से इस क्षेत्र के हितधारकों को बहुत आवश्यक तरलता प्रदान करने और निकट भविष्य में संचालन के लिए तैयार होने में काफी मदद मिलने की आशा है। इसी तरह, सरकार द्वारा अनुमोदित पर्यटन गाइडों को भी बहुत आवश्यक राहत प्रदान करने की आशा है जो महामारी के कारण क्षेत्र में चल रही मंदी से प्रभावित हुए हैं।

xix. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना के तहत, निम्नलिखित उप-श्रेणियों को अवसंरचना के उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में "सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना" की श्रेणी में शामिल किया गया था: (i) 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन सितारा या उच्च श्रेणी के वर्गीकृत होटल, (ii) रोपवे और केबल कार।

xx. इसके अलावा, अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के माध्यम से, "प्रदर्शन-सह-सम्मेलन केंद्र" को एक फुटनोट के साथ, प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र को परिभाषित करते हुए, "सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना" की श्रेणी में एक नई वस्तु को सम्मिलित करके अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया गया है।

xxi. मंत्रालय में कई दौर की चर्चाओं और विचार-मंथन सत्रों के माध्यम से उद्योग के हितधारकों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहा है और उनके सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की है। ऐसे सभी प्रस्तावों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उठाया गया है। इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित राहत उपायों से संबंधित मुद्दों को उनके साथ उच्चतम स्तर पर उठाया गया है।

xxii. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।

xxiii. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।

xxiv. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों / एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।

xxv. इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 08.12.2020 को पर्यटन सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं जो जनवरी, 2021 से प्रभावी हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीनशूट/स्टार्ट-अप एजेंसियों की श्रेणी पहली बार शुरू की जा रही है।

यह सरकार की स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने नीति के अनुरूप है। यह 'आत्मनिर्भर भारत' की नीति को भी आगे बढ़ाएगा।

xxvi. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है।

xxvii. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार बड़े पैमाने पर घरेलू पर्यटन द्वारा किया जाएगा, मंत्रालय ने ''देखो अपना देश'' के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला की व्यवस्था शुरू की। इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और साथ ही हितधारकों, छात्रों और आम जनता के बीच रुचि बनाए रखना है।

xxviii. होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/ पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/ पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है / समाप्त होने की संभावना है, को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

xxix. पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों की मान्यता को स्वचालित रूप से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए आवेदन जमा किए हैं, उन्हें आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने तक छह महीने के लिए अनंतिम मान्यता दी गई है।

xxx. विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, और पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

*****

अनुबंध – II

छत्तीसगढ़ में नए पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक 19.07.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 191 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में **विवरण**

"तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) पर राष्ट्रीय मिशन

वर्तमान में "तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) पर राष्ट्रीय मिशन" योजना के तहत विकास के लिए अभिज्ञात स्थलों की कुल संख्या 29 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में 57 है। यह स्थल हैं : अमरावती, श्रीशैलम तथा सिंहाचलम (आंध्र प्रदेश), परशुराम कुंड (लोहित जिला, अरुणाचल प्रदेश), कामाख्या और श्रीकृष्णगुरु सेवाश्रम, नासतरा (असम), पटना और गया (बिहार), बाल्मेश्वरी देवी मंदिर (राजनांदगांव, छत्तीसगढ़), द्वारका ,सोमनाथ और अंबाजी, बनासकांठा (गुजरात), सेंट बोम जीसस चर्च (गोवा), गुरुद्वारा नाडा साहेब और मां मनसा देवी मंदिर (पंचकूला,हरियाणा), मां चिंतपूर्णी (ऊना, हिमाचल प्रदेश), हजरतबल, कटरा और सुंदरबनी , राजौरी जिले में (जम्मू और कश्मीर), देवगढ़ और पारसनाथ (झारखंड), चामुंडेश्वरी देवी (मैसुरु जिला, कर्नाटक), गुरुवयूर, सेंट थॉमस इंटरनेशनल श्राइन, चेरामन जुमा मस्जिद (केरल), चौकिहंग विहार (लेह), ओंकारेश्वर और अमरकंटक (मध्य प्रदेश), त्र्यंबकेश्वर (महाराष्ट्र), चरणथला दुर्गा मंदिर-बाबेदपारा, नर्तियांग शक्ति मंदिर, नोंगसावलिया चर्च सोहरा, मदन एयर नर सेक्रेड पूल , जोवाई के पास (मेघालय), चांगसिल काई- साइरंग, प्रेस्बिटेरियन चर्च- दावरपुई, खवरहुलियन, सोलोमन मंदिर किड्रोन वैली और सेरकावर (मिजोरम), कोहिमा के कैथेड्रल, नोकसेन चर्च, मिशन कंपाउंड, आइजुटो, मोलुंगकिमोंग और वानखोसुंग-वोखा (नागालैंड), पुरी (ओडिशा), अमृतसर और रोपड़ ,चमकौर साहिब (पंजाब), अजमेर के विकास के लिए (राजस्थान), युकसोम (सिक्किम), कांचीपुरम, वेल्लंकानी और रामेश्वरम (तमिलनाडु), जोगुलम्बा देवी मंदिर (तेलंगाना) त्रिपुरा सुंदरी- अगरतला (त्रिपुरा), वाराणसी, और मथुरा (उत्तर प्रदेश), बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री- यमुनोत्री (उत्तराखंड) और बेलूर (पश्चिम बंगाल)।

जनवरी 2015 में इसकी शुरूआत के बाद से और 02.07.2021 तक मंत्रालय ने 1214.19 करोड़ रूपए के अनुमानित व्यय से 24 राज्यों में 37 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 से इन परियोजनाओं के लिए 675.89 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इन अनुमोदित परियोजनाओं में से कई परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

परियोजनाओं का विवरण (राज्यवार) **(करोड़ रूपए)**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अनुमोदित लागत	जारी धनराशि
च ल रही परियोजनाओं की सूची						
1.	आंध्र प्रदेश	1.	अमरावती टाउन, गुंटूर जिले को पर्यटन स्थल के रूप में विकास**	2015-16	27.77	27.77
		2.	श्रीशैलम मंदिर का विकास **	2017-18	47.45	37.96
2.	अरूणाचल	3.	परशुराम कुंड, लोहित जिला	2020-21	37.88	05.01.21

	प्रदेश		का विकास।			केवल प्रशासनिक स्वीकृति
3.	असम	4.	गुवाहाटी और उसके आसपास कामाख्या मंदिर और तीर्थ स्थल का विकास **	2015-16	29.99	29.99
4.	बिहार	5.	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में मूलभूत सुविधाओं का विकास **	2014-15	4.27	2.91
		6.	पटना साहिब में विकास **	2015-16	41.54	33.23
5.	छत्तीसगढ़	7.	माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ का विकास	2020-21	43.33	12.16
6.	गुजरात	8.	द्वारका का विकास **	2016-17	13.08	10.46
		9.	सोमनाथ में तीर्थ यात्रा सुविधाएं **	2016-17	45.36	45.36
		10.	प्रशाद योजना के तहत सोमनाथ में सैरगाह का विकास **	2018-19	47.12	44.76
7.	हरियाणा	11.	पंचकुला जिले में नाडा साहिब गुरुद्वारा और माता मनसा देवी मंदिर का विकास	2019-20	49.52	20.18
8.	जम्मू और कश्मीर	12.	हजरतबल में विकास	2016-17	40.46	32.37
9.	झारखंड	13.	बैद्यनाथजी धाम, देवघर का विकास	2018-19	39.13	20.58
10.	केरल	14.	गुरुवायुर मंदिर में विकास **	2016-17	46.14	36.91
	मध्य प्रदेश	15.	ओंकारेश्वर का विकास	2017-18	44.83	35.87
11.		16.	अमरकंटक का विकास	2020-21	49.99	08.01.21 केवल प्रशासनिक स्वीकृति
12.	महाराष्ट्र	17.	त्र्यंबकेश्वर का विकास	2017-18	37.81	8.49
13.	मेघालय	18.	मेघालय में तीर्थयात्रा सुविधा का विकास	2020-21	29.32	6.53

14.	नागालैंड	**19.**	नागालैंड में तीर्थयात्रा अवसंरचना का विकास	2018-19	25.26	13.49
15.	ओडिशा	20.	मेगा सर्किट के तहत देउली में पुरी, श्री जगन्नाथ धाम - रामचंडी - प्राची रिवर फ्रंट में अवसंरचना विकास	2014-15	50.00	10.00
16.	पंजाब	21.	अमृतसर में करुणासागर वाल्मीकि स्थल का विकास **	2015-16	6.40	6.40
17.	राजस्थान	22.	पुष्कर/अजमेर का एकीकृत विकास	2015-16	32.64	26.11
18.	सिक्किम	23.	चार संरक्षक संत, युकसोम में तीर्थयात्रा सुविधा का विकास	2020-21	33.32	9.50
19.	तमिलनाडु	24.	कांचीपुरम का विकास **	2016-17	13.99	13.99
		25.	वेलंकन्नी का विकास **	2016-17	4.86	4.86
20.	तेलंगाना	26.	जोगुलम्बा देवी मंदिर, आलमपुर का विकास	2020-21	36.73	5.14
21.	त्रिपुरा	27.	त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, उदयपुर का विकास	2020-21	37.84	10.59
22.	उत्तराखंड	28.	केदारनाथ का एकीकृत विकास **	2015-16	34.78	27.83
		29.	प्रशाद योजना के तहत बद्रीनाथ जी धाम (उत्तराखंड) में तीर्थयात्रा सुविधा के लिए अवसंरचना का विकास	2018-19	39.24	20.79
		30.	प्रसाद योजना के तहत उत्तराखंड में तीर्थयात्रा सुविधाओं और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का विस्तार	2021-22	54.36	**30.6.2021 को स्वीकृत**
23.	उत्तर प्रदेश	31.	मेगा टूरिस्ट सर्किट के रूप में मथुरा-वृंदावन का विकास (चरण- II .)**	2014-15	14.93	10.38
		32.	वृंदावन, जिला मथुरा में पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण **	2014-15	9.36	9.36
		33.	वाराणसी का विकास-चरण-I **	2015-16	20.40	16.32
		34.	गंगा नदी, वाराणसी में क्रूज पर्यटन	2017-18	10.72	8.57

		35.	प्रसाद योजना के तहत वाराणसी का विकास - चरण II	2017-18	44.60	31.77
		36.	गोवर्धन, मथुरा में अवसंरचना सुविधाओं का विकास,	2018-19	39.74	21.87
24.	पश्चिम बंगाल	37.	बेलूर का विकास	2016-17	30.03	23.39
			योग		**1214.19**	**675.89**

** परियोजना का भौतिकरूप से निष्पादन पूर्ण हो गया है।

स्वदेश दर्शन योजना

योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य वार आंकड़े:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वदेश दर्शन**			
		कुल परियोजनाएं	**राशि स्वीकृत**	**निर्गत राशि**	**राशि उपयोग**
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	141.53	141.77	137.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	146.49	124.05	110.51
3.	असम	2	185.66	159.29	127.30
4.	बिहार	5	272.86	221.36	185.68
5.	छत्तीसगढ़	1	96.10	80.44	79.15
6.	गोवा	2	197.00	185.38	170.47
7.	गुजरात	3	179.68	161.25	150.59
8.	हरियाणा	1	97.35	77.88	63.48
9.	हिमाचल प्रदेश	1	80.69	59.85	35.18
10.	जम्मू और कश्मीर	6	522.35	396.05	306.14
11.	झारखंड	1	52.72	15.07	4.25
12.	कर्नाटक	0	0	0	0
13.	केरल	5	418.60	180.39	142.39
14.	मध्य प्रदेश	4	350.67	315.26	303.36
15.	महाराष्ट्र	2	73.07	40.43	27.88
16.	मणिपुर	2	126.03	104.36	98.13
17.	मेघालय	2	184.1	138.89	106.30
18.	मिज़ोरम	2	158.63	137.17	139.77

क्रम संख्या	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	स्वदेश दर्शन			
		कुल परियोजनाएं	राशि स्वीकृत	निर्गत राशि	राशि उपयोग
19.	नागालैंड	2	195.50	175.95	155.61
20.	ओड़िशा	1	70.82	52.96	50.3
21.	पंजाब	1	91.55	41.45	17.89
22.	राजस्थान	4	310.63	229.85	220.16
23.	सिक्किम	2	193.37	169.02	157.52
24.	तमिलनाडू	1	73.13	68.60	63.37
25.	तेलंगाना	3	268.39	233.53	191.64
26.	त्रिपुरा	2	147.84	78.68	58.49
27.	उत्तर प्रदेश	8	490.71	414.60	352.92
28.	उत्तराखंड	2	145.49	133.33	132.67
29.	पश्चिम बंगाल	1	85.39	68.31	62.67
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	27.57	13.46	8.45
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0
32.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0
34.	दिल्ली	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	3	186.59	125.93	105.91
	मार्ग सुविधाओं का विकास (उत्तर प्रदेश और बिहार)	1	17.93	12.29	11.05
योग		**76**	**5588.44**	**4356.85**	**3777.06**

****